न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्या:-300/2020(जीसीएमएस नं. 2020/00078)

1. सन्त कुमार उम्र 30 वर्ष, पुत्र श्री रामनाथ, जाति कुम्हार, निवासी बबाई, तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू।
2. छोटेलाल उम्र 27 वर्ष, पुत्र श्री रामनाथ, जाति कुम्हार, निवासी बबाई, तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुन।

---अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू।
2. मुरारीलाल शर्मा पुत्र श्री नागरमल शर्मा, जाति ब्राहम्ण, निवासी बबाई, तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू।

---रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः-

1. श्री सुभाष चन्द, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री सुशील कुमार जोशी एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से

निर्णय

दिनांकः 20.07.2023

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.11.2015 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि पटवारी हल्का बबाई द्वारा भूमि खसरा नम्बर 119 रकबा 6.72 हैक्टयर जो राजस्व रिकार्ड में राजकीय भूमि गैरमुमकीन रड़ा दर्ज है, पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा 600 वर्गमीटर जमीन पर पत्थर, चूना, व ईट डालकर अवैध निमार्ण करने की रिपोर्ट न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी में प्रस्तुत की तथा तहसीलदार ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर विचार कर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का अतिक्रमण मानकर उसके विरूद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत कार्यवाही प्रारम्भ की। जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने तहसीलदार खेतड़ी के समक्ष गलत पट्टे व गलत तथ्य प्रस्तुत किये उनकी बिना जांच करवाये ही तहसीलदार खेतड़ी द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के विरूद्ध गलत रूप से धारा 91 की कार्यवाही ड्रोप करने का आदेश दिनांक 12.03.2014 पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष निरस्तनीय था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के वास्तविक तथ्यों पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.11.2015 पारित किया है, जो निरस्त योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थीगण द्वारा तहसीलदार खेतड़ी के उक्त निर्णय दिनांक 12.03.2014 के विरूद्ध प्रथम

P.T.O.

अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झुन्झुनू के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत कर प्रकरण के समस्त तथ्य अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे किन्तु अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.11.2015 पारित किया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो अपील प्रस्तुत की थी उसके साथ अलग से धारा 96 जा.दी. का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया था। अपीलार्थीगण के उक्त आवेदन पत्र धारा 96 जा.दी. पर गौर कर अपील सुनवाई योग्य होना मानकर व अपीलार्थीगण को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार होना मानकर अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को नोटिस जारी किये गये थे। तहसीलदार खेतड़ी के समक्ष भी अपीलान्ट्स ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के अतिक्रमण बाबत समय–समय पर आवेदन पत्र प्रस्तुत किये थे। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा अतिक्रमित भूमि अपीलान्ट्स व मौहल्ले के अन्य व्यक्तियों के रिहायशी मकानों के समाने सार्वजनिक भूमि के रूप में है। जिसका सारे मौहला वाले सार्वजनिक रूप से उपयोग व उपभोग में लेते आ रहे है। उक्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा अतिक्रमण कर लेने के कारण भूमि के उपयोग व उपभोग से अपीलान्ट्स महरूम हो गये है व इस भूमि में से गुजरने वाले रास्ते के उपयोग व उपभोग में भी बाधा कारित हो गई है। इस प्रकार अपीलान्ट्स रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा किये गये अतिक्रमण से व्यथित है। इस कारण अपीलार्थीगण प्रकरण में प्रभावित पक्षकार होने के कारण उन्हे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का अधिकार था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के वास्तविक तथ्यों को समझे बिना एवं प्रकरण पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.11.2015 पारित किया गया है, जो निरस्तनीय है। अतः अपील के समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.11.2015 व तहसीलदार खेतड़ी जिला झुन्झुनू द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.03.2014 को निरस्त किया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को अतिक्रमी घोषित कर विवादित भूमि से बेदखल करने का आदेश फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने कथन किया है कि तहसीलदार खेतड़ी द्वारा रेस्पोडेन्ट सख्या 2 के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 की कार्यवाही ड्रोप की गई थी जिसमें अपीलार्थीगण किसी भी प्रकार से प्रभावित पक्षकार नही है। इस कारण से अपीलार्थीगण को तहसीलदार खेतड़ी के आदेश दिनांक 12.03.2014 के विरूद्ध अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की कोई लोकस स्टेण्डाई नही होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को विधिवत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ही गुणावगुण पर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.11.2015 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपीलार्थीगण की अपील खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के संलग्न तहसीलदार खेतड़ी के निर्णय दिनांक 12.03.2014 की छाया प्रति के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के विरूद्ध पत्रावली संख्या 137/2000 निर्णय दिनांक 26.06.2000 एवं पत्रावली संख्या 728/2011 निर्णय दिनांक 06.01.2012 में धारा 91 की कार्यवाही ड्रोप किया जाना एवं उसकी ताईद में भूमि विवादग्रस्त बाबत जारी पट्टे दिनांक 15.01.1975 होना मानते हुए आदेश दिनांक 12.03.2014 पारित किया गया है। जिसके विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी जबकि तहसीलदार खेतड़ी आदेश दिनांक 12.03.2014 से अपीलार्थीगण के सीधे तौर पर कोई हित प्रभावित नही होते है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा अपीलार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिये जाने के पश्चात् ही गुणावगुण पर अपीलाधिन आदेश दिनांक 23.11.2015 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.11.2015 को यथावत रखा जाता है।

(अन्तरसिंह नेहरा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 20.07.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

20/7/23

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।